राजस्व अपील संख्या 169 / 2022

अनवान

जसुराम बनाम सरकार

दिनांक 13 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश कमांक/प्रगांसं/राज/2021/670 दिनांक 30–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री रोशनलाल उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2021 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट ने अपीलाधीन आदेश धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का बिलकुल गलत अर्थ निकाल कर अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मे से गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया, उक्त आदेश क्षैताधिकार के विपरित पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट ने अपीलाधीन भूमि के किसी खातेदार को बिना पक्षकार बनाये बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उसकी खातेदार की भूमि के रक़बे मे परिवर्तन एवं नक्शे मे परिवर्तन करने का आदेश पारित कर दिया जो कानूनन गलत है तथा कथन किया कि धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे किसी खातेदार की भूमि मे रकबे को कम या अधिक करने एवं नक्शे मे स्वःप्रेरणा से परिर्वतन करने का प्रावधान नही है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनसुार भी किसी खातेदार की भूमि मे राजस्व रेकर्ड मे अगर कोई परिर्वतन किया जाता है तो प्रभावित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है

परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना ही जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—12—2021 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर,, मौका की जांच करवाकर खातेदारान की सहमति से पुनः विधिवत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने अपील अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—12—2021 जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30—12—2021 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए अपीलान्टगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित अपीलान्टगण के खातेदारी ग्राम करमाणा नगर के खसंरा नम्बरान के सम्बध मे किसी तरह की कार्यवाही नही करे। अतिरिक्त इस निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर